आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–10/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसमें विस्तार से लाभुक को लाभ नहीं मिल पाने की वजह बताई गई है। साथ ही आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता का लिखित आग्रह भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने निजी कारणों से इस शिकायत को वापस लेने की बात लिखी है। आयोग इस वाद को निष्पादित करते हुए निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो इस योजना के विभिन्न प्रावधानों और योजना का लाभ लेने के लिए वांछित दस्तावेजों के संदर्भ की विस्तृत जानकारी के संदर्भ में विशेष प्रचार–प्रसार अभियान प्रारम्भ करें ताकि जन कल्याणकारी योजनायें फाइलों में ही दम तोड़ती न रह जायें। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx17	